Case No :- 79/2020
LRCMS No :- 2020/00282

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/7/21	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत लो. सू. अ. (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन के विरुद्ध पेश की गई थी। लो. सू. अ. (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन ने जरिये पत्रांक 685 दिनांक 8/2/21 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलांट को उनके पत्रांक/आरटीआई/2021/684 दिनांक 5/2/21 के जरिये सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। इस सम्बन्ध में अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु इस न्यायालय द्वारा नोटिस पत्रांक 761 दिनांक 5/5/21 व 939 दिनांक 21/6/21 को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया। अपीलांट को दो बार अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से यह माना जाता है की अपीलांट द्वारा वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। Sd/- जिला कलक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:36:31 IST
Reason: SelfAttested